अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 19/2021-केन्द्रीय कर

सा. का.नि. 363 (अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर 2018 , जिसे सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के

(i) आंठवे परंतुक में, तालिका के स्थान पर, मई 2021 के 20वें दिन से प्रभावी निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -

क्र.सं. (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	मार्च 2021 अप्रैल 2021 मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पैंतालीस दिन तक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी - मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक"।

"तालिका

(ii) आंठवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने नियत तारीख तक माह/ तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये पांच सौ से अधिक अधित्यजन किया जाता है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शुन्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देह विलंब फीस रुपये दो सौ पचास से अधिक को उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्हीने नियत तारीख तक माह/ त्रिमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है:

परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किये गए है, और जो नियत तारीख तक प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जून 2021 की कर अवधि से या जून 2021 को ख़तम तिमाही की कर अवधि से, जैसा भी मामला हो, देय विलंब फीस, जो की निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किये गए रकम से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्: -

तालिका

क्र°सं°	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शुन्य है	रुपये दो सौ पचास
2.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये एक हज़ार
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये दो हज़ार पांच सौ" l

[फा. सं. सीबीआईसी- 20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 09/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 01 मई 2021, जिसे सा.का.नि. 305 (अ), दिनांक 01 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 19/2021 - Central Tax

G.S.R. 363(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018– Central Tax, dated the 31^{st} December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31^{st} December, 2018, namely: —

In the said notification,-

(i) in the eighth proviso, with effect from the 20^{th} day of May, 2021, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: —

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived
			(4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year		Fifteen days from the due date of furnishing return

"Table

2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return
		April, 2021	Forty-five days from the due date of furnishing return
		May, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January-March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return.";

(ii) after the eighth proviso, the following provisos shall be inserted, namely: —

"Provided also that for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months /quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1^{st} day of June, 2021 to the 31^{st} day of August, 2021, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of five hundred rupees:

Provided also that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months / quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021:

Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onwards, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely: —

S. No.	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons whose total amount of central tax payable in the said return is nil	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees".

TABLE

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification number 09/2021 – Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 305(E), dated the 1st May, 2021.